

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 3282 / 1826 / 2019 / 50-2(ए.एन)

भोपाल, दिनांक - 23/7/19

प्रति,

कलेक्टर,
जिला- समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय :- लाइली लक्ष्मी योजना-बलात्कार पीडित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका को योजना अंतर्गत लाभ दिये जाने के संबंध में।

प्रदेश में बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण एवं अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाइली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि बलात्कार पीडित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका होने की स्थिति में जन्म लेने वाली बालिका को लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जावे। इस प्रकार के विशेष प्रकरण में परियोजना अधिकारी स्वयं संबंधित बलात्कार पीडित बालिका/महिला से आवेदन प्राप्त करते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर बालिका को पंजीकृत करते हुये योजना में उल्लेखित लाभों को प्रदान करेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अनुरोध/हे।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क्र. 3283 / 1826 / 2019 / 50-2(ए.एन.)

भोपाल, दिनांक - 23/7/19

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. आयुक्त, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, भोपाल।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.बा.वि. म.प्र.
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी, मध्यप्रदेश
7. समस्त परियोजना अधिकारी, परियोजना मध्यप्रदेश
8. अनुभाग अधिकारी/गार्ड फाइल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

महिला एवं बाल विकास विभाग

आयुक्त/क.मिबावि./आयुक्त/आयुक्त
दिनांक 25-7-2019
Add dir (SM)
2019